कार्य आदेशिका

प्रदीप कुमार व अन्य बनाम रिको व अन्य

8/1/25

आदेश विस्तृत रूप से | निर्देश निर्णय

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु का पेश किया। रिपोर्ट वाविस्ता तलब की गयी है। पत्रावली मय रिकॉर्ड की जाकर वकील प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र पर सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाके ग्राम विमलपुरा पटवार हल्का विधाणी, भू.अभि.नि. क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 54 के खसरा नम्बर 469/116, 470/117 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2500 है0 का सीमाज्ञान तहसीलदार सांगानेर के आदेश क्रमांकः/भू0अ0/सीमाज्ञान/2022/11460 दिनांक 22.12.2022 की पालना में दिनांक 30.12.2022 को उपस्थित खातेदारो के समक्ष मौके पर दिनांक 30.12.2022 को उपस्थित खातेदारो के समक्ष मौके पर मुस्तकिल बिन्दु ख0सं0 119 गै.मु.चाह से जरीब चलाकर से मौतबिरान, पश्चात प्रतिनिधि व रिको प्रतिनिधि के समक्ष ख0न0 116, 117, 469/116, 470/117, 124 व 125 का सीमांकन कर सीमाज्ञान करवाया गया। सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील प्रार्थीगण व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 30.12.2022 को सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इस बाबत् भविष्य में पडौसी काश्तकारो में किसी प्रकार की प्रकार विवाद नही हो इसलिए सीमाज्ञान करवाया जाना है ऐसी स्थिति में सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी किये जाने हेतु का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके ग्राम विमलपुरा पटवार हल्का विधाणी, भू. अभि.नि. क्षेत्र गोनेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित प्रार्थीगण की आराजी कृषि भूमि खाता संख्या 54 के खसरा नम्बर 469/116, 470/117 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2500 है0 का सीमाज्ञान फर्द मौका–रिपोर्ट आदेश दिनांक 30.12.2022 के अनुसार उभयपक्षो की उपस्थिति में पुख्ता सीमाचिन्ह्न कायम करें। पुलिस इमदाद की आवश्यकता हो तो सम्बन्धित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करें। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)